



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127290

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या - 20445/2026

जेन आलम

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : प्रवीण कुमार, सुनील कुमार मिश्रा

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सुनील कुमार मिश्रा और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. प्रस्तुत तत्काल जमानत याचिका, पुलिस स्टेशन- मिर्जापुर, जिला- सहारनपुर के अपराध संख्या 122/2025, बी.एन.एस. की धारा 87, 142, 352, 351(2) के अंतर्गत आवेदक की जमानत हेतु दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को इस प्रकरण में गलत तरीके से फंसाया गया है। कथित अपराध से उसका कोई लेना - देना नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट एक महीने और सत्रह दिन की अत्यधिक विलंब के बाद दर्ज की गई थी, और उसमें इस विलंब का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि पीड़िता शादी के बाद स्वेच्छा से अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी, क्योंकि वह शादी के विरुद्ध थी और कथित तौर पर उसे इसके लिए मजबूर किया गया था। विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि चूंकि आवेदक को पीड़िता के ठिकाने की जानकारी थी और उसने उसके माता-पिता को सूचित कर दिया था, इसलिए वर्तमान प्रथम सूचना रिपोर्ट शिकायतकर्ता द्वारा आवेदक से बदला लेने और उसे इस प्रकरण



- में गलत तरीके से फंसाने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से दर्ज कराई गई है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त, श्रीमती बासो को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत याचिका संख्या 16566/2026 में दिनांक 15.5.2026 के आदेश के माध्यम से जमानत दी गई है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 24.3.2026 से कारावास में है।
4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत दिए जाने के अनुरोध का विरोध किया, हालाँकि, वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि इसी तरह की स्थिति वाले सह-अभियुक्त, श्रीमती बासो को इस न्यायालय की एक अन्य पीठ द्वारा जमानत दी जा चुकी है।
 5. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की तर्कों पर गौर किया है और रिकॉर्ड में उपस्थित दस्तावेजों को देखा है।
 6. प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त, श्रीमती बासो को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा जमानत दी गई है और उक्त आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज या स्थगित नहीं किया गया है, और आवेदक 24.3.2026 से कारावास में बंद है, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।
 7. जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।
 8. आवेदक- **जेन आलम**, जो उपरोक्त प्रकरण में शामिल है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत मुचलका और उतनी ही राशि के दो जमानतदार पेश करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन है। इसके अतिरिक्त, रिहाई का आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।
 - (i) आवेदक को एक वचनपत्र दाखिल करना होगा कि जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य के लिए नियत तिथि पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त के उल्लंघन के प्रकरण में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और विधि के अनुसार आदेश पारित करना के लिए स्वतंत्र होगा।



(ii) आवेदक को निर्धारित प्रत्येक तिथि पर व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा। पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहने की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-A IPC/ 269 बी.एन.एस. के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 द0प्र0सं0/ 84 बीएनएसएस के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध विधि के अनुसार धारा 174-A भा0द0सं0/ 209 बी.एन.एस. के अंतर्गत कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक को (1) प्रकरण के खुलने, (2) आरोप तय करने और (3) धारा 313 द0प्र0सं0 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तारीखों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या युक्तियुक्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए ऐसी त्रुटि को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानना और विधि के अनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।

9. यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होता है, तो यह जमानत खारिज करने का आधार बनेगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों के बयानों के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

15 जून, 2026

फहद

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)